



अररिया समाहरणालय  
(जिला भू-अर्जन कार्यालय)

शुद्धि-पत्र

भारत-नेपाल सीमा समानान्तर सड़क निर्माण हेतु कुर्साकाँटा अंचल अन्तर्गत 20 मौजों में भूमि अर्जन के लिए अवर सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1318/रा0 दिनांक 28.10.2016 द्वारा भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11(1) के अधीन अधिसूचना एवं पत्रांक 1323/रा0 दिनांक 31.10.2016 के द्वारा धारा 19(1) के अधीन अधिघोषणा निर्गत है। उक्त अधिसूचना/अधिघोषणा में लिपिकीय भूलवश मौजा मेंहदीपुर का थाना संख्या 62 के स्थान पर 72 और मौजा पहसी मगरवी (पहुँसी), थाना संख्या 78 के स्थान पर भागफास (पहुँसी), थाना संख्या 89/2 अंकित हो गया है।

अतः अधिसूचना/अधिघोषणा में मौजा मेंहदीपुर का थाना संख्या 72 के स्थान पर थाना संख्या 62 एवं मौजा भागफास (पहुँसी), थाना संख्या 89/2 के स्थान पर पहसी मगरवी (पहुँसी), थाना संख्या 78 पढ़ा जाय। इस प्रकार इस हद तक इसे संशोधित समझा जाय।

ह0/-  
समाहर्ता,  
अररिया।

ज्ञापांक 64 /जि0भू0अ0, अररिया, दिनांक 19/02/2018

- प्रतिलिपि : निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को शुद्धि-पत्र की तीन प्रतियाँ सहित दो दैनिक समाचार पत्रों जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, अररिया को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि : उप समाहर्ता प्रभारी, जिला गजट, अररिया समाहरणालय को जिला गजट के अलावे अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट की दस प्रतियाँ जिला भू-अर्जन कार्यालय, अररिया को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि : निदेशक, भू-अर्जन, बिहार, पटना को उनके पत्रांक 744/रा0 दिनांक 14.06.2017 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि ✓ आई0टी0 मैनेजर, अररिया को अररिया जिला के अधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

19/2/18  
समाहर्ता,  
अररिया।